Mai 01

बिहार सरकार
कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय
गृह विभाग (कारा)

आदेश

श्री रामलखन यादव, कक्षपाल के विरूद्ध उनके मंडल कारा, बिहारशरीफ में पदस्थापन के दौरान दिनांक 23.03.2016 को दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित खबर "जेल में सुलेखा ने खाया राजबल्लभ का नमक "से संबंधित मामले की जाँच जिला पदाधिकारी, नालन्दा द्वारा की गई। जाँचोपरान्त उनके विरूद्ध प्रावधान के विपरीत बिना सक्षम प्राधिकार के आदेश/अनुमति प्राप्त किये कारा के अन्दर बाहरी कारीगरों को जाने देना तथा भारी मात्रा में सामग्रियों को बिना गेट पंजी में प्रविष्टि के लिए निलंबित करते हुए विभागीय आदेश ज्ञापांक 2091 दिनांक 05.04.2016 द्वारा विभागीय कार्यवाही संस्थित की गई। विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु श्री मनोज कुमार सिन्हा, अधीक्षक, मंडल कारा, हाजीपुर को संचालन पदाधिकारी तथा श्री जलज कुमार उपाधीक्षक, उपकारा, बाढ़ को उपस्थापन पदाधिकारी नियुक्त किया गया। संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन में श्री यादव के विरूद्ध गठित आरोप प्रमाणित पाये गये। तत्पश्चात विभागीय पत्रांक 3959 दिनांक 05.07.2016 द्वारा जाँच प्रतिवेदन की प्रति उपलब्ध कराते हुए श्री यादव से द्वितीय कारण पृच्छा की गई जिसके अनुपालन में श्री यादव द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा जवाब समर्पित किया गया।

2 श्री यादव के विरूद्ध गठित आरोप, आरोपवार स्पष्टीकरण तथा संचालन पदाधिकारी का अधिगम निम्नवत् है :–

आरोप संख्या–(i) दिनांक–23.03.2016 को दैनिक समाचार पत्र " दैनिक भास्कर " पटना के एक समाचार पत्र में "जेल" में सुलेखा ने खाया राजबल्लभ का नमक" शीर्षक से प्रकाशित एक समाचार का महानिरीक्षक, कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय, बिहार, पटना के संज्ञान पर जिला पदाधिकारी, नालंदा के द्वारा सम्पूर्ण प्रकरण की जाँच कराई गई, जिसमें कई बिन्दुओं पर विसंगतियाँ एवं प्रतिकूल टिप्पणी प्रतिवेदित है, जिससे उनके कर्त्तव्यहीनता, लापरवाही तथा नियम विरूद्ध कार्य करने की प्रवृत्ति परिलक्षित होती है।

स्पष्टीकरण :– आरोप के प्रसंग में आरोपित कर्मी द्वारा उल्लेख किया गया है कि "यह आरोप भावनात्मक है। इसमें तथ्यों का बिल्कुल ही आभाव है जबकि सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश संख्या 331 दिनांक 29.08.1998 की कण्डिका संख्या 5(1) में प्रावधान है कि आरोप स्पष्ट होना चाहिये। संबंधित पदाधिकारी द्वारा किस प्रकार, किस नियम, आदेश/अनुदेश का उल्लंघन किया गया है का स्पष्ट उल्लेख करना, घटना का स्थान आवश्यक है। आरोप भावनात्मक नहीं होकर तथ्यात्मक होना चाहिये।

संचालन पदाधिकारी का अधिगम :– आरोपित कक्षपाल के द्वारा अपने विरूद्ध गठित पहला आरोप को भावनात्मक तथा तथ्यहीन माना गया है, जबकि जिला पदाधिकारी, नालंदा के पत्रांक 1944/गो0 दिनांक 25.03.2016 द्वारा समुचित जाँच प्रतिवेदन कक्षपाल श्री राम लखन यादव की कर्त्तव्यहीनता, लापरवाही तथा नियम विरूद्ध कार्य करने की प्रवृत्ति परिलक्षित होती है।

आरोप संख्या–(ii) जांच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित है कि दिनांक– 22.03.2016 तथा 23.03.2016 को भोजन बनाने हेतु जो भी समाग्री जेल गेट के भीतर लायी गयी थी, उसमें बहुत सारे सामग्री की प्रविष्टि आपके द्वारा जेल गेट सामग्री पंजी एवं भंडार पंजी में दर्ज नहीं की गई थी तथा कारा में बाहर के कारीगर को बुलाकर विशेष पकवान बनवाया गया। जेल परिसर में इस तरह बिना किसी प्रविष्टि के बाहरी व्यक्तियों का प्रवेश निःसंदेह कारा सुरक्षा एवं संसीमित अन्य बंदियों की सुरक्षा के प्रतिकूल है। उनका यह कृत्य आपकी कर्त्तव्यहीनता एवं लापरवाही का द्योतक है। साथ ही यह उनकी कारा हस्तक के विहित प्रावधानों के सर्वथा प्रतिकूल कार्य करने एवं कारा की सुरक्षा को खतरे में डालने की प्रवृत्ति परिलक्षित होती है।

स्पष्टीकरण :–कारा हस्तक के नियम 597 (2) के तहत् बंदियों को विशेष भोजन की व्यवस्था है जो बाहर के कारीगर कारा के अन्दर आये थे। उनके नाम की प्रविष्टि गेट रजिस्टर में की गयी थी। बंदियों के विशेष अनुरोध पर उच्चाधिकारियों के आदेश से यह कार्य हुआ था। मैं उनके आदेश को मानने को बाध्य हूँ। इसके लिए मुझे दोषारोपित करना न्यायोचित नहीं है।

संचालन पदाधिकारी का अधिगम :–आरोपित कक्षपाल द्वारा बताया गया है कि बिहार कारा हस्तक नियम 597 (2) के तहत बंदियों को विशेष भोजन देने की व्यवस्था है। बाहर के कारीगर कारा के अन्दर आये थे उनके नाम की प्रविष्टि गेट रजिस्टर में की गयी थी। दिनांक 22.03.2016 को कारा के

अन्दर विशेष भोजन पुआ, पूरी, दहीबाड़ा, सब्जी तथा दिनांक 23.03.2016 को विशेष भोजन मीट चावल तथा शाकाहारी हेतु दाल, सब्जी (आलू, गोभी) तथा मिठाई बनाने हेतु जो भी कच्ची सामग्री कारा के अन्दर लाया गया उसकी प्रविष्टि जेल गेट सामग्री पंजी में दर्ज नहीं किया गया था। इस प्रकार कारा गेट पंजी में समाग्रियों एवं उनकी मात्रा को प्रावधान के तहत् अंकित नहीं करने के कारण आरोपित कक्षपाल की कर्त्तव्यहीनता, लापरवाही एवं कदाचार में संलिप्ता प्रमाणित होती है।

आरोप संख्या– (iii) कारा के मुख्य द्वार में संधारित किये जाने वाली गेट पंजी (Gate Register of Articles) का आपके पास न होकर, इसे सहायक अधीक्षक की अभिरक्षा में होना तथा उसमे सहायक अधीक्षक द्वारा अपनी सुविधानुसार इन्ट्री किया जाना, बिहार कारा हस्तक, 2012 के नियम संख्या–828 (iii) का खुला उल्लंधन है।

स्पष्टीकरण :– कारा के मुख्य द्वार में संधारित किये जाने वाली गेट पंजी (Gate Register of Articles) का मेरे पास न होकर इसे सहायक अधीक्षक की अभिरक्षा में होना तथा उसमें सहायक अधीक्षक द्वारा अपनी सुविधानुसार इन्ट्री किया जाना, बिहार कारा हस्तक 2012 के नियम 828 (iii) का खुला उल्लंघन है, को इनके द्वारा अस्वीकार किया गया है।

संचालन पदाधिकारी का अधिगम :– कारा के मुख्य द्वार में संधारित किये जानी वाली गेट पंजी (Gate register of articles) जो कक्षपाल के पास न होकर सहायक अधीक्षक द्वारा अपनी सुविधानुसार इन्ट्री किया जाता था। इस संबंध में आरोपी कक्षपाल से पूछताछ किया गया पूछताछ के क्रम में यह जानकारी दी गई कि बिक्री वही सहायक अधीक्षक को अधीक्षक के मौखिक आदेश द्वारा दिया गया था। गेट रजिस्टर आफ आर्टिकल्स (बिक्री बही) इनके पास नहीं होने की लिखित सूचना वरीय पदाधिकारी/काराधीक्षक को नहीं देना/सामग्रियों के नाम अंकित नहीं किया जाना उनकी उदासीनता का द्योतक है। इस प्रकार उनके विरूद्ध गठित तीसरा आरोप प्रमाणित होता है।

आरोप संख्या–(iv) उपरोक्त के आलोक में आरोपित का यह कृत्य उनकी कर्त्तव्यहीनता, लापरवाही एवं कदाचार में संलिप्पता का द्योतक है। साथ ही यह बिहार कारा हस्तक 2012 के विहित प्रावधानों के सर्वथा प्रतिकूल है।

स्पष्टीकरण :– अपने चौथे आरोप के संबंध में श्री यादव का कहना है कि यह कोई नया आरोप नहीं है बल्कि उपर्युक्त तीनों आरोप को दुहराया गया है। जिसपर वे प्रकाश डाल चुके है। अतः इस बिन्दु पर कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है।

संचालन पदाधिकारी का अधिगम :–उपर्युक्त विभागीय कार्यवाही के आरोपवार अभिलेख, तथ्य एवं आरोपी कर्मी के बयान के विश्लेषोपरांत संचालन पदाधिकारी द्वारा आरोपित कक्षपाल श्री राम लखन यादव पर गठित आरोप संख्या 01 को आंशिक रूप से एवं आरोप संख्या 2, 3 पूर्णरूपेण प्रमाणित पाया गया है।

3. संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन में आरोपित के विरूद्ध गठित आरोप को प्रमाणित पाया है। फलतः प्रमाणित आरोपों के लिए संचालन पदाधिकारी का जाँच प्रतिवेदन की प्रति आरोपित को विभागीय पत्रांक 3959 दिनांक 05.07.2016 द्वारा उपलब्ध कराते हुए पन्द्रह दिनों के अन्दर द्वितीय कारण पृच्छा जबाव समर्पित करने का निदेश दिया गया।

आरोपित द्वारा अपने द्वितीय कारण पृच्छा जबाव में पृच्छा किये गये तथ्यों से हटकर अनेक बेवजह तथा अतार्किक तथ्यों का उल्लेख किया गया है, जो स्वीकार योग्य नहीं है।

4. उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्री रामलखन यादव के विरूद्ध गठित आरोप, संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन, श्री यादव द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा जबाव एवं संचिका में उपलब्ध अन्य अभिलेखों, कारा हस्तक के प्रावधानों एवं विभागीय अनुदेशो के आलोक में समीक्षा की गई। समीक्षोपरान्त पाया गया कि कारा हस्तक में विहित प्रावधानों के अनुसार गेट पंजी आरोपित कक्षपाल, श्री यादव के पास न होकर सहायक अधीक्षक के पास थी। दिनांक 22/23.03.2016 को भोजन हेतु जो भी सामग्री कारा गेट के अंदर लायी गई थी उसकी प्रविष्टि उनके द्वारा नहीं की गई। साथ ही जेल परिसर में बिना प्रविष्टि किये हुए बाहरी व्यक्तियों को प्रवेश कराया जाना कारा जैसा अतिसंवेदनशील स्थल के सुरक्षा एवं विहित प्रावधान का घोर उल्लंघन है। बिहार कारा हस्तक के नियम संख्या–828 में वर्णित प्रावधानों के अनुरूप श्री रामलखन यादव, द्वार कक्षपाल के दायित्व निर्वहन में विफल रहे। श्री यादव द्वारा अपने द्वितीय कारण पृच्छा जवाब में कोई ठोस एवं नये तथ्यों का उल्लेख नहीं किया गया है बल्कि उनके द्वारा अपने उत्तरदायित्व से बचने मात्र के उद्देश्य से बेवजह तथा

अप्रासंगिक तथ्यों का सहारा लिया गया है। गठित आरोपों की गंभीरता को देखते हुए श्री यादव का द्वितीय कारण पृच्छा जवाब स्वीकार करने योग्य नहीं है।

5. अतः श्री रामलखन यादव, कक्षपाल, मंडल कारा, बिहारशरीफ (सम्प्रति निलंबित) संलग्न शहीद खुदीराम बोस केन्द्रीय कारा, मुजफ्फरपुर के विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–14 के तहत् निम्न वृहत् दण्ड अधिरोपित किया जाता है :–

" सेवा से बर्खास्तगी का दण्ड (Dismissal from service)"।

श्री यादव को निलंबन अवधि में देय जीवन निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त कुछ भी देय नहीं होगा।

3/11

महानिरीक्षक,
कारा एवं सुधार सेवाएँ,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक– कारा/नि0को0(स0अधी0)–03–07/2016 6746 दिनांक– 4-11-16

प्रतिलिपिः–अधीक्षक, शहीद खुदीराम बोस केन्द्रीय कारा, मुजफ्फरपुर/मंडल कारा, बिहारशरीफ/आदर्श केन्द्रीय कारा, बेऊर, पटना तथा श्री रामलखन यादव, कक्षपाल (सम्प्रति निलंबित) संलग्न शहीद खुदीराम बोस केन्द्रीय कारा, मुजफ्फरपुर/प्रशाखा पदाधिकारी, (कक्षपाल स्थापना–02), कारा एवं सुधार सेवाएँ, बिहार, पटना को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. प्रधान सचिव, गृह विभाग, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ।

3. अधीक्षक, शहीद खुदीराम बोस केन्द्रीय कारा, मुजफ्फरपुर को निदेश है कि आदेश की प्रति श्री यादव को तामिला कराकर तामिला प्रतिवेदन उपलब्ध कराया जाय।

4. सभी अधीक्षक, केन्द्रीय कारा/मंडल कारा एवं उपकारा को सूचनार्थ प्रेषित।

5. आई0टी0 मैनेजर, गृह विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3/11

महानिरीक्षक,
कारा एवं सुधार सेवाएँ,
बिहार, पटना।